



आयुष्मान भारत "निरामयम्", मध्य प्रदेश

(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)

आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल मध्यप्रदेश

E-mail ID- ayushman.bharat@mp.gov.in



क्रमांक/एस.एच.ए./ए.बी./2023/1054

भोपाल, दिनांक 23/06/2023

प्रति,

जिला कलेक्टर (समस्त)

मध्यप्रदेश।

विषय:- PVC आयुष्मान कार्ड की डिलिवरी रिपोर्ट (Form D) प्राप्त शीघ्र प्रेषित करने के संबंध।

संदर्भ:- (1) अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पत्र क्रमांक/एस.एच.ए./ए.

बी./2023/976 भोपाल दिनांक 15.06.2023।

(2) आयुक्त, सह सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक/जी.एम.

ओ./ए.बी./2023/1016 भोपाल दिनांक 20.06.2023।

(3) अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पत्र क्रमांक/जी.एम.ओ./ए.

बी./2023/1032 भोपाल दिनांक 21.06.2023।

(4) अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पत्र क्रमांक/जी.एम.ओ./ए.

बी./2023/1030 भोपाल दिनांक 21.06.2023।

(5) अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पत्र क्रमांक/जी.एम.ओ./ए.

बी./2023/1036 भोपाल दिनांक 21.06.2023।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि 27 जून 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से जिला शहडोल से मध्यप्रदेश राज्य में 1 करोड़ PVC आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ होने जा रहा है। पत्राचार करने, दूरभाष पर सम्पर्क करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिये जाने के पश्चात भी, संलग्न सूची अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा आयुष्मान PVC कार्ड की रिसीविंग (प्राप्ति) रिपोर्ट (प्रारूप-D) आज दिनांक तक प्रेषित नहीं किया गया है।

कृपया संलग्न सूची अनुसार स्थानीय निकायों को, तत्काल निर्देशित करते हुये, रिसीविंग (प्राप्ति) रिपोर्ट (प्रारूप-D) कार्यालय आयुष्मान भारत की अधिकारिक ई.मेल. आई.डी. ayushman.bharat@mp.gov.in पर आज ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न- (1) उपरोक्तानुसार पत्र

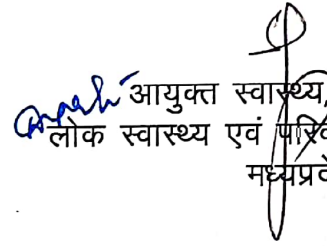
(2) जिलावार-सूची

(3) (प्रारूप-D)

(डॉ. सुदाम खांडे)
आयुक्त स्वास्थ्य, सह सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
2. आयुक्त, नगर निगम समस्त म.प्र. की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. परियोजना अधिकारी, पी.ओ. डूडा समस्त की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद/पालिका समस्त पालनार्थ।

 आयुक्त स्वास्थ्य, सह सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश